Annexure - III

सत्यमेव जयते

भारत सरकार,

पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,

क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र)

******

पंचम तल, केन्द्रीय भवन,
सैक्टर एच, अलीगंज,
लखनऊ–226024
दूरभाष–2324025,
फैक्स–2326696

पत्र सं0 8 बी/यू.सी.पी/06/158/2005/एफ.सी. 2054

दिनॉक : 13.03.2007

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उत्तरांचल शासन,
देहरादून ।

विषय : जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 58 के कि0मी0 152 से कि0मी0 209 तक सड़क के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करने हेतु 22.4 हे0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मन्त्रालय को हस्तांतरण ।

सन्दर्भ : नोडल अधिकारी, उत्तरांचल की पत्र संख्या 240/1जी–1193 (हरि0) दिनॉक 22.07.2005 ।

******

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी थी । नोडल अधिकारी, उत्तरांचल ने अपने पत्र दिनॉक 19.02.2007 द्वारा प्रस्ताव से सम्बन्धित कतिपय सूचनाऍं/स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत की हैं ।

अतः प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 58 के कि0मी0 152 से कि0मी0 209 तक सड़क के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करने हेतु 22.4 हे0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मन्त्रालय को हस्तांतरण की स्वीकृति निम्न शर्तों पर दी जाती है ।

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।
2. वन विभाग द्वारा याचक विभाग के व्यय पर परियोजना से प्रभावित वृक्षों का 10 गुनी संख्या में वृक्षारोपण किया जायेगा ।
3. वन विभाग द्वारा याचक विभाग के व्यय पर प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण किया जायेगा ।
4. याचक विभाग द्वारा जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा ।
5. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
6. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा ।
7. याचक विभाग माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन 202/1995 की आई0ए0 566 में निर्धारित की गयी शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की राशि सम्बद्ध कोष में जमा करेगा बाद में इस राशि को राज्य सरकार क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रबन्ध एवं योजना संस्था (Compensatory Afforestration, Management and Planning Agency) को हस्तांतरित करेगी ।
8. परियोजना से विस्थापित लोगों के पुनर्वास/क्षतिपूर्ति की कार्यवाही केन्द्र सरकार के मानकों के अनुरूप होगी ।
9. एन0एच 58 पर स्थित हाथी कारिडोर के संवेदनशील हिस्से पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण उपरिगामी सेतु का निर्माण करेगा ताकि वहॉं से हाथियों के आवागमन में बाधा न पहुँचे ।
10. राज्य सरकार द्वारा लगायी गयी अन्य शर्तें, यदि कोई हो तो उनका अनुपालन किया जायेगा ।

भवदीय,

(के0 बी0 सिंह)
उप-वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निदेशक एफ.सी., पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नयी दिल्ली 110003
2. नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तरांचल ।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार ।
4. अपर महाप्रबन्धक, टी0एच0डी0सी0एल0, विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना, पीपलकोटी, चमोली ।
5. आदेश पत्रावली ।

13-3-07

(के0 बी0 सिंह)
उप- वन संरक्षक (केन्द्रीय)